कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

—:कार्यालय—आदेश:—

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक क्रमांकः— शिविरा—माध्य /संस्था/सी—2/इति—वाणि/नियुक्ति/इतिहास/पीएससी—2018/2021 दिनांकः—25.09.2021 के तहत योगेश कुमार जोशी व्या0 इतिहास, राउमावि, ओसियां—जोधपुर का स्थानान्तरण राउमावि, बोडाना—जैसलमेर किया गया। उक्त स्थानांतरण के विरूद्व योगेश कुमार जोशी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 16479/2021 योगेश कुमार जोशी बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 02.12.2021 में योगेश कुमार जोशी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है एवं प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत अभ्यावेदन प्राप्त होने पर अख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारण किए जाने के आदेश प्रदान दिए है।

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर निर्णय के क्रम में याचिकार्थी योगेश कुमार जोशी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के राउमावि ओसियां—जोधपुर में 02 वर्ष पूर्व ही पदस्थापित होने, स्वयं की पत्नी नजदीक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक पद पर कार्यरत होना एवं राउमावि ओसियां—जोधपुर मे व्या.इतिहास का एक पद रिक्त होने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर गहन मनन व विचार किया गया। यह विधि सुस्थापित सिद्वान्त है कि लोकसेवकों द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत यथावत/वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाये जाने के आधार पर एतदद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित तथा पालना सुनिश्चित करें।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी—2/याचिका संख्या 16479/योगेशकुमार/को.के/20—21 दिनांकः— 18.01.22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय),
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
5. जि.शि.अ. (माध्य—विधि)
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त—निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर